संख्या- 22/2020/ 1301/78-2-2020-21आई0टी0/2005/टीसी-2

प्रेषक,

नेहा प्रकाश,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊ: दिनांक: 16 दिसम्बर,2020

विषय:वित्तीय वर्ष 2020-21 में यू.पी.स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (यूपी स्वान 1) के क्रियान्वयन हेतु सृजित देयता के भुगतान हेतु धनराशि रू0 400.00 लाख की स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य समन्वयक, सीईजी के पत्र संख्या-CeG/P/18/BSNL/III /250/2020-21, दिनांक 12-11-2020 एवं प्रबन्धक सीईजी के पत्र पत्र संख्या-CeG/P/18/BSNL/III /257/2020, दिनांक 24-11-2020के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में यू.पी.स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (यूपी स्वान 1) के क्रियान्वयन हेतु सृजित देयता के भुगतान हेतु कुल धनराशि रू0 400.00 लाख (रू0 चार करोड़ मात्र)की निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
2. उक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि उक्त का भुगतान संबधित योजना में पारित एमओयू की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-3-2020,07-04-2020,11-04-2020 व 18-05-2020 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
4. उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लि0 द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
5. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ है/ हो रहा है।
6. उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।
7. प्रशासकीय विभाग/ राज्य समन्वयक, सीईजी सवीकृत धनराशि अवमुक्त किये जाने से पूर्व सम्बन्धित कार्यो का सत्यापन कर सन्तुष्ट हो लेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8. उक्त धनराशि का उपयोग यू.पी.स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के प्रतिबद्ध देयताओं के भुगतान व अपरिहार्य व्ययों का वहन योजना अन्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि स्वीकृत धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लि0 द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 उद्योग निदेशक, कानपुर तथा आईटी एवं इले0 अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-007 उद्योग(भारी मध्यम उद्योग)के अन्तर्गत लेखा शीर्ष "2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-11-उत्तर प्रदेश ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान-42अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।
11. इस धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर राजकोष से किया जायेगा।
12. यह धनराशि सीधे जिस संस्था को भुगतान किया जाना है उसके खाते में ट्रांसफर की जायेगी।
13. इसे यू0पी0डेस्को/ सीईजी के बैंक खाते में रखे जाने हेतु उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
14. प्रशासकीय विभाग योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेंगें।
15. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण)विभाग के अ0शा0प0 संख्या-ई-6- 862 /दस- 2020 दिनांक 14-12-2020 में प्राप्त उनकी सहमती से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,
नेहा प्रकाश
विशेष सचिव

संख्या-22/2020/ 1301(1) /78-2-2020 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
5. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0,लखनऊ।
7. राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
8. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4 ।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3/ औद्योगिक विकास अनु0-2 ।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
बराती लाल
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in